हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

सोलहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 149

मंगलवार, 22 अगस्त, 2017/31 श्रावण, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

मौनसून सत्र में भाग लेने के लिए मैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन रहेगा कि सदन की कार्यवाही को सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाने में मुझे सहयोग दें। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि सभी माननीय सदस्यों को सदन में नियमों की परिधि में रह कर अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले, वहीं मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि वह माननीय सदस्यों द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर पूर्णतः दें।

(राष्ट्रीय गान गया गया)

1. शोकोद्गारः

निम्नलिखित ने श्री सदा नंद चौहान, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर तथा विशेषकर पधर के पास व प्रदेश भर में अन्य स्थानों पर भारी वर्षा से हुए लैंड स्लाइड के कारण हुई जान-माल की क्षति पर शोकोद्गार व्यक्त किएः-

1. श्री वीरभद्र सिंह, माननीय मुख्य मंत्री
2. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
3. डॉ0 राजीव बिन्दल
4. श्री गुलाब सिंह ठाकुर
5. माननीय अध्यक्ष महोदय

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में कुछ क्षण खड़े होकर मौन रखा गया)

11.15AM

शोकोद्गार के तुरन्त पश्चात् विपक्ष के सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, हमने आपको आज नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया है। हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। एक नाबालिग कन्या स्कूल से घर की ओर जाती है और रास्ते में उसका बलात्कार हो जाता है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। आरोपियों के फोटोज़ माननीय मुख्य मन्त्री जी की वेबसाइट और फेसबुक पर वायरल हो जाते हैं और फिर वे फोटोज़ विद्ड्रा हो जाते हैं। जब इस मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है तो सूचना देने के बाद भी 6 घण्टे तक वहां पर कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचता । जिन आरोपियों को पकड़ा जाता है, कस्टडी में रखा जाता है, उसमें से एक आरोपी की पुलिस कस्टडी मे ही हत्या हो जाती है। अगर पुलिस कस्टडी के अन्दर हवालात में थोड़ी भी आवाज़ होती है तो संतरी वहां पर एकदम खड़ा हो जाता है। यहां पर एक हत्या हो गई और डी0जी0पी0 और आई0जी0 अपनी प्रैस कॉन्फ्रैंस में कहते हैं कि हमने सारे-का-सारा केस सोल्व कर दिया है। अगर यह केस सोल्व हुआ है तो फिर इसे सी0बी0आई0 को क्यों भेजा गया? नेता प्रतिपक्ष, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल ने उनकी बात का समर्थन किया तथा कहा कि किसी भी सरकार का सबसे बड़ा दायित्व लोगों के जान-माल और सम्मान की रक्षा करना होता है। सत्तापक्ष का जो प्रमुख दायित्व है वह लोगों के जान-माल और सम्मान की रक्षा करना है। जब इस दायित्व में सत्तापक्ष असफल रहा है तो मुझे लगता है कि इस चर्चा के लिए और कोई मौका नहीं हो सकता। इसलिए नियम-67 को इनवोक करके कानून व्यवस्था पर चर्चा की जाए।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दिया:-

"आज 22 अगस्त, 2017 को प्रातः 9:17 बजे माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल, श्री सुरेश भारद्वाज, श्री महेश्वर सिंह, श्री रणधीर शर्मा, श्री नरेन्द्र ठाकुर व श्री रविन्द्र सिंह जी से नियम-67 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है जो प्रदेश में निरन्तर बिगड़ रही कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में है। यह सूचनाएं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षरित है। मैंने इन सूचनाओं को तत्काल सरकार से वस्तुस्थिति जानने के लिए प्रेषित कर दिया है। जैसे ही सरकार से इस विषय पर विस्तृत टिप्पणी प्राप्त होगी मैं इस चर्चा के लिए समय निर्धारित करूंगा।"

2. प्रश्नोत्तरः

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 3658, 3709, 3737, 3832 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 4088 से 4104 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए समझे गए तथा आज की कार्यवाही का हिस्सा बने।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 698, 1562, 1578 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1732 से 1735 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए समझे गए तथा आज की कार्यवाही का हिस्सा बने।

(पूर्वाह्न 11.45 बजे सदन की बैठक अपराह्न 12.00 बजे तक स्थगित की गई)

(अपराह्न 12.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

(विपक्ष के माननीय सदस्य निमय-67 के अन्तर्गत प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कराने के लिए ज़ोर डालते हुए नारेबाज़ी करने लगे)

12.00PM

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने मंगलवार, 22 अगस्त, 2017 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य दिया।

4. स्वीकृत विधेयक सभा पटल परः

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

(1) हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक,201 7 (2017 का अधिनियम संख्यांक 9); और

(2) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर विधेयक,201 7 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) ।

5. <u>कागजात सभा पटल परः</u>

(1) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (प्रथम संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःका0 (नियुक्ति-IV)-बी(7)-1/1998 दिनांक 19.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.04.2017 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1986 की धारा 45 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(3) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक- एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जिला लोक सम्पर्क अधिकारी/सूचना अधिकारीए, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए-(3)-3/2013 दिनांक 11.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.05.2017 को प्रकाशित; और

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, गैस्टेटनर आपरेटर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःपब-ए(3)-2/201 दिनांक 11.04.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.05.2017 को प्रकाशित ।

(4) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग, आशुटंकक, वर्ग-III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएस.डब्लू.डी.(बी)2-14/2017 दिनांक 22.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.03.2017 को प्रकाशित;

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएस.डब्लू.डी.(बी)2-15/2016 दिनांक 27.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.03.2017 को प्रकाशित;

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग, चालक, वर्ग-III(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएस.डब्लू.डी.(बी)2-12/2016 दिनांक 20.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.03.2017 को प्रकाशित; और

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग, चपरासी एवं चौकीदार, वर्ग-IV(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःएस.डब्लू.डी.(बी) 2-11/2016 दिनांक 27.02.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.03.2017 को प्रकाशित।

6. <u>अध्यादेश</u> :

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 29.06.2017 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 2)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखी ।

7. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u> :

(1) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति (वर्ष 2017-18) ने** निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **28वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि समिति के 19वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **29वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2010-11) जोकि समिति के 25वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सर्वशिक्षा अभियान** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2017-18) ने** समिति का **36वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(3) **श्री राकेश कालिया, सभापति,जन-प्रशासन समिति (वर्ष 2017-18) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **33वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **कार्मिक विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(ii) समिति का **34वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है।

(विपक्ष के माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष के आसन के पास एकत्रित होकर नारेबाजी करते रहे)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने विपक्ष द्वारा किए जा रहे व्यवधान के दौरान निम्नलिखित निर्णय दियाः-

"मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपका जो नोटिस आया है, मैं विचार कर रहा हूँ, उस पर चर्चा होगी लेकिन नियम-67 के अन्तर्गत नहीं । Practice and Procedure of Parliament by Kaul and Shakdhar में लिखा है, a matter which can be raised under any other procedural device, viz., calling attention notices, questions, short notice questions, half-an-hour discussion, short duration discussion, etc. cannot be raised through an adjournment motion."

अपराह्न 12.15 बजे सदन की बैठक बुधवार, 23 अगस्त, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई।